

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 45/2025

बउनवान

राज्य सरकार जयें रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री सिद्धान्त पुत्र योगेश निवासी बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :- 1. परोकार रसद

(प्रार्थी)

2. नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट

(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 15.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह देवारांम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, सिद्धार्थ काफ़ी हाउस कोटा रोड़ बारां पर पहुंचे। मौके पर सिद्धान्त पुत्र योगेश, निवासी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स लक्ष्य एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जयें अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी सिद्धार्थ काँपी हाउस कोटा रोड़ बारां पर मुनीम के रूप में नियुक्त है तथा उक्त काँपी हाउस का वास्तविक मालिक सिद्धार्थ कोठारी है, जिसका गैस कनेक्शन काँपी हाउस बारां के नाम से जारी करवाया हुआ है। जिसका उपभोक्ता क्रमांक 900052 बारां गैस सर्विस है, उसके द्वारा अपनी दुकान के लिए दिनांक 13.02.2025 को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर की डिलेवरी ली गई थी तथा वो ही व्यावसायिक सिलेण्डर ही काम में लिया जा रहा था। इस प्रकार जो रसद विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गई उसमें न तो मालिक को पक्षकार बनाया गया है और गलत आधार पर उक्त परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दुकान मालिक सिद्धार्थ कोठारी के पुत्र हिमालय कोठारी के नाम से एक घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ता संख्या 500831 बारां गैस सर्विस के यहां से लिया हुआ है, जिससे 2 सिलेण्डर जारी करवाये हुए हैं। जिसमें से एक सिलेण्डर दिनांक 15.01.2025 को भरवाया गया था। तथा वह सिलेण्डर खाली होने के कारण पुनः भरे हुए सिलेण्डर की डिलेवरी लेने के लिए दुकान मालिक के पुत्र के नाम कनेक्शन होने के कारण दुकान पर खाली रखा हुआ था। क्योंकि दुकान मालिक ग्राम गजनपुरा पीलिया काँलोनी में रहता है वहां पर तत्काल गैस की सप्लाय न होने के कारण दुकान पर ही गैस सिलेण्डर की डिलेवरी ली जाती रही है। दुकान मालिक की माता श्रीमति राजकुमारी पत्नि श्री कृष्ण गोपाल के नाम से एक घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ता संख्या 503708 बारां गैस सर्विस से लिया हुआ है। जिस पर भी 02 सिलेण्डर जारी करवाये हुए हैं, जिसमें सिलेण्डर की डिलेवरी देने का पता दुकान मालिक की दुकान का ही दिया हुआ है, जो कोटा रोड़ बारां है। इसका एक सिलेण्डर दिनांक 04.01.2025 को भरवाया गया था जो खाली होने के कारण दुबारां भरवाने के लिए दुकान पर खाली रखा हुआ था। रसद विभाग द्वारा उक्त दोनो खाली सिलेण्डरों को ही जप्त किया हुआ है, तथा जप्ती के समय दोनो सिलेण्डर खाली थे, उनको कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा था, व्यावसायिक उपयोग के लिए पृथक व्यावसायिक सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान में मौजूद था तो वह क्यों घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग करेगा और जो जप्त किये गये हैं वह खाली सिलेण्डर थे, जिनका उपयोग किया जाना संभव नहीं है। जप्त शुदा सिलेण्डरों का वजन फर्द जप्ती में लगभग

**जिला कलक्टर
बारां (राज०)**



प्राथ

दो किलो के आस पास दर्शाया गया है, जबकि खाली सिलेण्डर का वजन गैस सर्विस के अनुसार 14 किलो मानक के रूप में बताया जाता है तथा पूरी गैस कंजूम न होने से डेढ से दो किलो गैस सिलेण्डर के अन्दर ही रह जाती है जो घरेलू उपयोग में नहीं आती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि जप्त शुदा सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक के रूप में नहीं हो रहा था। अतः प्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त कर जप्त शुदा सिलेण्डर उसके उपभोक्ता को वापस दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने बहस पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 2 गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।


दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा घरेलू उपयोग में लिये गये खाली सिलेण्डरों को जब्त किया गया है जो कि दुकान पर भरवाने के लिये रखे हुए थे। जब्त किये गये सिलेण्डरों का वजन मुताबिक फर्द जब्ती 15 किलो अंकित किया गया है जो खाली सिलेण्डर के मानक वजन के बराबर है इससे स्पष्ट है कि खाली सिलेण्डर भरवाने के लिये ही दुकान पर रखे थे उनका किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन जवाब के माध्यम से किया है परन्तु कोई ऐसा साक्ष्य पेश करने में अप्रार्थी असफल रहा है कि जब्तशुदा सिलेण्डर भरवाने के लिये दुकान पर रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(1) 1385T, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(2) 355397R का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रुपये यानि 2 गैस सिलेण्डर की कुल 5000/- रुपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स लक्ष्य एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहितेश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

प्रार्थी